राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –08/2024 निगरानी

1. लादू पिता मांगीलाल निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. रामेश्वर लाल पिता नारायण जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. सचिव, ग्राम पंचायत पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत पांसल द्वारा जारी पट्टा संख्या 62 दिनांक 11.03.1997

उपस्थित –

1. श्री लादूलाल जाट, अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.02.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल में निगराकार/प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1855 रकबा 0.0253 है यानि 02 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसके पास ही पासंल ग्राम पचांयत की आबादी भूमि 1857/1 स्थित है और मौके पर निगराकार प्रार्थी की आराजी में आने जाने का रास्ता भी इसी आराजी में से है। गैर निगराकार संख्या 01 रामेश्वर लाल पुत्र नारायण जाट निवासी पांसल ने ग्राम पंचायत पासंल के एक फर्जी पट्टे की आड़ में निगराकार के आने जाने के रास्ते के आगे एक अवैध अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया और निगराकार द्वारा गैर निगराकार को फर्जी पट्टे की आड़ में रास्ते को बंद नहीं करने का ओलम्बा दिया तो गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा निगराकार से लडाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और धमकी दी की मैं फर्जी पट्टे की आड में तुम्हारे आने जाने की जगह पर अतिक्रमण करके रास्ते को अवरूद्ध कर खुर्द बुर्द कर दूंगा। जब निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत पासंल से सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे की सूचना चाही तो ग्राम पंचायत पासंल व ग्राम विकास अधिकारी ने निगराकार को लिखित में जवाब देकर सूचना दी की उक्त तथाकथित पट्टे का कोई रिकॉर्ड ग्राम पचांयत पांसल के पास उपलब्ध नही है और ना ही कोई

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मिसल पत्रावली हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकार ग्राम पचायत पासंल ने उक्त तथाकथित पट्टे की। मिसले उपलब्ध नहीं होने के कारण निगराकार को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाया गया। ग्राम पचांयत पासंल का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा पट्टा संख्या 62 दिनांक 11/03/1997 पूर्णतया फर्जी एवं बनावटी पट्टा है, जिसकी कोई मिसल ग्राम पचायत पांसल के पास नही है और ना ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की नियमो की पालना उक्त तथाकथित पट्टे के सबंध में की गयी है। यदि किसी ग्राम पचायत द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई पट्टा जारी किया जाता है तो उसके पूर्व पंचायत के कोरम में प्रस्ताव लिया जाता है वार्ड पंचो की कमेटी का गठन कर मकान की मौका रिपोर्ट बनायी जाती है अखबार में उजरदारी सूचना निकाली जाती है ऐसे किसी नियमो का पालन उक्त तथाकथित पट्टे के सबंध में नही किया गया। यदि पट्टा वैध होता तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 144 से 157 के सभी नियमो की पालना की जाती। लेकिन ऐसे किसी नियमो की पालना उक्त पट्टे के सबंध में नही की गयी इससे साबित होता है कि पट्टा पूर्णतः फर्जी है। ग्राम पंचायत पासंल के पास भी उक्त पट्टे के सबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पचायती राज अधिनियम की धारा 157 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जहां आबादी भूमि में पुराने गृह बने हो तो उनका पट्टा ग्राम पचांयत द्वारा जारी किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में गैर निगराकार संख्या 01 के पास न तो उक्त पट्टशुदा जगह का मकान बना हुआ है और ना ही मौके पर गैर निगराकर संख्या 01 को कब्जा है। मौके पर बंम्बूल उगे हुए है। और जिस जगह का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 अपने पक्ष में होना बता रहा है और उस जगह पर ग्राम पंचायत पांसल द्वारा चबूतरा बनाया गया हैं जो की निगराकार के द्वारा प्रस्तुत फोटो ग्राफ्स से साबित है। गैर निगराकार के द्वारा मात्र फर्जी पट्टे की आड़ में ग्राम पचायंत की भूमि पर अतिक्रमण करने अवैध निर्माण कर ग्राम पचांयत की भूमि को हडपना चाहता है जिसका उसे कोई हक अधिकार नही है। गैर निगराकार के पक्ष में जारी तथाकथित फर्जी पट्टे की न तो कोई मिसल ग्राम पचायत पासंल के पास उपलबध है और नही किसी भी नियमो की पालना इसमें की गयी है। स्वंय पंचायत द्वारा मिसल नही होना स्वीकार किया है जिसका अर्थ है कि पट्टा पूर्णतया फर्जी एवं बनावटी है जिसे निरस्त किया जाना अत्यंत न्यायोचित है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या–01 के प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार ने हस्तगत निगरानी में मामले के संक्षिप्त तथ्य अपने तही सर्वथा मनगढ़न्त व असत्य दर्ज किये है। अलबता आराजी संख्या 1857/1 रकबा 0.0759 हैक्टयर में निगराकार की आराजी में आने–जाने का प्राप्त कोई रास्ता विद्यमान नहीं है व न ही उत्तरदाता गैर निगराकार के पक्ष में कोई किसी प्रकार से फर्जी पट्टा जारी किया हुआ है, जिसे निरस्त कराने का निगराकार को कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है। निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र उत्तरदाता गैर निगराकार को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिथ्या व मनगढ़न्त आधारों पर प्रस्तुत की है। निगराकार द्वारा विवादित स्थल को रास्ते की भुमि होना कथन किया हैं। विवादित स्थल कोई किसी प्रकार से रास्ते की भुमि नहीं है। स्वंय निगराकार ने हस्तगत निगरानी में स्वीकार किया है कि निगराकार के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1855 से सटमा पश्चिमी दिशा में ग्राम पंचायत पांसल की आबादी भुमि संख्या 1857/1 स्थित है। फिर भी इसके विपरीत विवादित भुमि को रास्ते की भुमि होना बता कथन निरामिथ्या दर्ज किये है। निगराकार को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांकित 11/03/1997 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी व है क्योंकि उत्तरदाता गैर निगराकार विवादित पट्टेशुदा भुमि पर विगत कई वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी निगराकार ने हस्तगत

9.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानी करीब 29 वर्षों उपरान्त प्रस्तुत की है। निवेदन है कि उक्त पट्टा संख्या 62 दिनांक 11.03.1997 विधि अनुसार है, उक्त प्रकरण 08/2024 निगरानी को निरस्त करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा 62/11.03.1997 रिकॉर्ड पर है। इसके अतिरिक्त लगभग 29 साल बाद उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर ठहरती है। निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी होने से निगरानी आधारहीन, सारहीन व लगभग 29 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत होकर मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पांसल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा